आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
06.04.2021	वादी पक्ष से लक्ष्मण भुईयाँ अनुपस्थित हैं। ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार उपस्थित रहे एवं आयोग के कार्यालय में श्री अनुज कुमार शरण प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, बरवाडीह, लातेहार उपस्थित रहें। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार द्वारा बताया गया कि लक्ष्मण भुईयाँ का राशन कार्ड निर्गत करा दिया गया है। जिसकी क्षायाप्रति और प्रतिवेदन आयोग को प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है। केस को संचिकास्त किया जा सकता है। श्री वाल्मीकि कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची को निदेश दिया जाता है कि ऑर्डर की कॉपी को आयोग के वेबसाइट पर उचित स्थान पर अपलोड करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। 6/04/2021 (उपेन्द्र नारायण उरांव) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हलधर महतो) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

C:\Users\hp\Dropbox\rachana\Court Hearing.docx13